मिसल नम्बर 18 / 2022
निर्णय दिनांक 28–02–2022

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विवेक कटारिया

मिसल नम्बर :– **18 / 2022**

सरकार

बनाम

बजरंग पुत्र श्री गीगाराम जाति कुम्हार निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राजस्थान।

..................गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट–1956)

दिनांक :– 28–02–2022

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल की ओर से गैर सायल अधिवक्ता श्री हवासिंह उपस्थित। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का बीलवा के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि **राजस्व ग्राम टीलावाली** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 309 रकबा 1.25 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन नाला के रकबा 0.07 है0 भूमि पर बाड़ लगाकर गैर सायल बजरंग पुत्र श्री गीगाराम जाति कुमावत निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज0 ने राजकीय भूमि पर बाड़ लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का बीलवा के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमि के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायल की ओर से गैर सायल अधिवक्ता ने जबाब नोटिस इस आशय का पेश किया है कि गैर सायल का कब्जा काफी पुराना है। तथा गैर सायल की ओर से कोई ठोस सबूत पेश नही किये है। गैर सायल को अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण करने एवं अभियोग में लेने का कोई अधिकार नही है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं पटवारी रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से सपष्ट है कि गैर सायल बजरंग पुत्र श्री गीगाराम जाति कुमावत निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज0 ने **राजस्व ग्राम टीलावाली** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 309 रकबा 1.25 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन नाला के रकबा 0.07 है0 भूमि पर बाड़ लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि

मिसल नम्बर 18 / 2022
निर्णय दिनांक 28–02–2022

को अनाधिकृत रुप से अपने अभियोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमिया राजकीय प्रयोजनो के लिए सुरक्षित रखी गयी है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार पटवारी हल्का बीलवा की रिर्पोट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–: **आदेश** :–

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का बीलवा के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर **राजस्व ग्राम टीलावाली** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 309 रकबा 1.25 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन नाला के रकबा 0.07 है0 भूमि पर बाड़ लगाकर किये गये अतिक्रमण पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 2 रूपये का 50 गुणा = 100/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का **बीलवा** से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की **राजस्व ग्राम टीलावाली** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 309 रकबा 1.25 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन नाला के रकबा 0.07 है0 भूमि पर बाड़ लगाकर किये गये अतिक्रमण पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28–02–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक कटारिया)
तहसीलदार खेतड़ी

इस पत्रावली की मांग कायमी रजि. सं. 4 के पृष्ठ संख्या 5 वर्ष 21-22 राशि 100/- कर ली गई है।
तहसील राजस्व लेखाकार
खेतड़ी